

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी 2019—फाल्गुन 1, शक 1940

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2019

क्र. 2294-अप्रविस-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) जो विधान सभा में दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पुनःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१९

मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा ३५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५ में, खण्ड (च) का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक ११५१/२०१७ विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है, यह मुद्दा है कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय अधिनियमितियों में, जहां कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों से विभेदकारी व्यवहार के प्रावधान हैं, को समाप्त/संशोधित किया जाए, जबकि कुष्ठ रोग अब एक साध्य रोग है. इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५ चिन्हित की गई है, जिसमें कुष्ठ रोगियों के संबंध में विभेदकारी उपबंध है. अतएव, यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १४ फरवरी, २०१९.

जयवर्द्धन सिंह

भारसाधक सदस्य.